

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय,
महाप्रबन्धक/इंजी०,
गोरखपुर

डब्लू/29/0/ए/पार्ट-1/5

दिनांक 18-12-2000

पुल परिपत्र संख्या -14

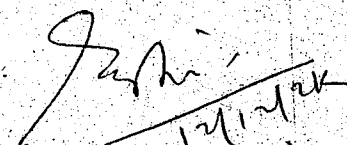
विषय — नई लाइन के निर्माण तथा आमान परिवर्तन के पश्चात् निर्माण संगठन द्वारा संबंधित खण्डों के साथ पुलों का खुली लाइन को हस्तान्तरण ।

विगत में ऐसा देखा गया है कि नई लाइन के निर्माण अथवा आमान परिवर्तन के पश्चात् किसी खण्ड को खुली लाइन को हस्तान्तरित करते समय निर्माण संगठन द्वारा पुलों का हस्तान्तरण नहीं किया जाता है जिसके कारण हस्तान्तरण के पश्चात् इन पुलों के निरीक्षण, तकनीकी परीक्षण तथा रख-रखाव इत्यादि में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । इन समस्याओं से निजात पाने हेतु आगे से नई लाइन के निर्माण अथवा आमान परिवर्तन के पश्चात् पुलों के हस्तान्तरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

1. किसी भी खण्ड को यात्री गाड़ियों के लिए खोलने के तुरन्त बाद निर्माण संगठन द्वारा सभी पुलों के कम्प्लीशन प्लान की एक प्रति मुख्य पुल इंजीनियर को तथा एक प्रति मण्डल को भेज दी जायेगी । मण्डल अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेगा कि कार्यस्थल पर पुल का कार्य इसी कम्प्लीशन प्लान के अनुरूप पूर्ण किया गया है तथा इस आशय का आवश्यक प्रमाण-पत्र भी मण्डल से मुख्य पुल इंजीनियर को भेज दिया जायेगा । 40 फीट और उससे अधिक स्पैन के गार्डरों के सुपर स्ट्रक्चर का मानचित्र मण्डल के स्थान पर मुख्य कारखाना प्रबन्धक/पुल को भेजा जायेगा तथा मुख्य कारखाना प्रबन्धक/पुल अपने स्तर से जाँच करा करके इस बात का प्रमाण-पत्र देंगे कि ऐसे पुलों का सुपर स्ट्रक्चर का कार्य कम्प्लीशन प्लान के अनुसार सम्पादित कराये गये है ।

2. निर्माण संगठन सभी पुलों के अभिकल्पन तथा जाँच की संगणना की प्रति मुख्य पुल इंजीनियर को प्रेषित करेगा ।

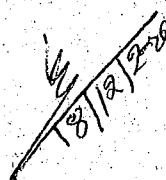
3. उपरोक्त के पश्चात् मुख्य पुल इंजीनियर द्वारा पुलों को मण्डल द्वारा तथा 40' और उससे अधिक स्पैन के सुपर स्ट्रक्चर को मुख्य कारखाना प्रबन्धक/पुल द्वारा टेक ओवर करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया जायेगा।


(एस० सी० झा)
मुख्य पुल इंजीनियर,
कृते महाप्रबन्धक/इंजी०

प्रतिलिपि

1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मण्डल रेल प्रबन्धक(इंजी०)/इज्जतनगर, लखनऊ ज०, वाराणसी, सोनपुर व समस्तीपुर।
3. इंजी० विभाग के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को।
4. मुख्य कारखाना प्रबन्धक/पुल, अधि० अभि०(पुल खुली लाइन), गोरखपुर।
5. मुख्यालय के सभी इंजी० अधिकारियों के लिए।

1-14
7/11/2000
18-12-2000


18/12/2000

कृते महाप्रबन्धक/इंजी०

18-12-2000